2– "मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना "

उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में स्थित खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/ उपज/अवशेष अंश एवं खड़ी फसल की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति हेतु वित्तीय सहायता, मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से योजना संचालित की जा रही है। इस सहायता योजना के अन्तर्गत प्रभावी प्राविधानों एवं नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को अधिक उपयोगी, व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर संशोधित **"मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना"** के प्राविधान निम्नवत् होंगे :–

1– योजना का क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र

इस योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इस योजना में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित समस्त मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत खलिहान में एकत्रित फसल एवं खेत में खड़ी फसल में अग्निकाण्ड दुर्घटना में हुई क्षति आच्छादित होगी।

2– योजना में देय सहायता धनराशि (अधिकतम् दायित्व)

कृषक के सम्बन्ध में नीचे दिये गये विवरण की सीमा के आधार पर उनको देय सहायता **धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–**

क0सं0	अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त फसल/क्षेत्रफल	देय सहायता धनराशि
(अ)	एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम् रू030,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।
(ब)	एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम् रू0 40,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।
(स)	02 हेक्टेयर या 05 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम् रू0 50,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।

किसी एक स्थान में घटित अग्निकाण्ड दुर्घटना में सामूहिक क्षति की धनराशि रू0 2.00 लाख (दो लाख) अथवा अधिक आंकलित हो रही हो, तो इन प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु निर्णय जनपद के जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

3– अग्नि दुर्घटना का तात्पर्य

अग्नि दुघर्टना का तात्पर्य यह है कि बाह्य दृष्टिगत कारणों से अग्निकाण्ड हुआ हो अथवा तड़ित (लाईटिनिंग) प्राकृतिक बिजली गिरने से आग लगी हो। इसी दशा में सहायता धनराशि दी जायेगी। किसी सार्वजनिक दंगे अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश पर फसल अथवा उपज आदि जलाई गयी हो या स्वयं कृषक के द्वारा दुर्भावना से जलाई गयी हो, तो वह इस योजना की परिधि में आच्छादित नहीं होगी।

4– क्षतिपूर्ति के आधार एवं निस्पादन प्रकिया

(1) किसी कृषक की खलिहान में रखी फसल/उपज/अवशेष अंश अथवा खड़ी फसल की प्रस्तर–3 में उल्लिखित दशा में अग्नि दुर्घटना द्वारा क्षति हो गयी है, उसी दशा में सहायता दी जायेगी।

(2) खलिहान में रखी फसल/उपज की अग्निकाण्ड में हुई क्षति हेतु सहायता उपज पर वास्तविक स्वामित्व

रखने वाले कृषकों को दी जायेगी। यदि स्वामित्व का कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है अथवा संदिग्धतापूर्ण है, तो उसका निर्धारण मण्डी समिति के सचिव को करना होगा अथवा न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगा।

(3) खड़ी फसल अथवा खलिहान में रखी फसल की क्षति के लिए सम्बन्धित कृषक की जोत की जितनी फसल अग्निकाण्ड में क्षतिग्रस्त हुई है, उसी भूमि के क्षेत्रफल को आधार मानकर देय सहायता धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।

(4) मण्डी समिति को दावा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

5–दावा निपटान (निष्पादन/निस्तारण) हेतु प्रक्रिया

(1)– अग्नि दुर्घटना की सूचना प्रभावित कृषक/उत्पादक को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन 90 दिन के अन्दर क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा उप जिलाधिकारी को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में सचिव की संस्तुति पर सभापति की अनुमति पर 90 दिन अतिरिक्त समय सीमा बढाई जा सकेगी।

(2)– आवेदन पत्र की जॉच मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से स्थलीय जॉच अनिवार्य रूप से करायेंगे तथा जॉच कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को दावा आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3)– मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से स्वीकृत उपरान्त लाभार्थी को भुगतान रेखांकित चेक द्वारा सचिव, मण्डी समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(4)–योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करके दावा निस्तारण एक सप्ताह में कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव की संस्तुति पर सभापति द्वारा दो सप्ताह तक का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है।"